फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/177) **तहसीलदार, भदेसर बनाम आजादी सफी के बजाय वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. श्री भगवतसिंह शक्तावत - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।** **-अपीलार्थी** **बनाम** **श्री आजाद सफी पिता श्री अली मोहम्मद निवासी रेवलियाकला, तहसील भदेसर हाल मुकाम कांकरिया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के बजाय** 1. **जावेद हुसैन पिता आजाद सफी** 2. **श्री शहजाद पिता आजाद सफी** 3. **जुबेदा पुत्री श्री आजाद सफी** 4. **कुलसुम पत्नि आजाद सफी** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 80/2015 निर्णय दिनांक 25.10.2019 (अनवान आजाद सफी बनाम तहसीलदार भदेसर)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 21.04.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, बप्रकरण संख्या 80/2015 निर्णय दिनांक 25.10.2019 (अनवान आजाद सफी बनाम तहसीलदार भदेसर) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी के पूर्वाधिकारी आजाद सफी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि उसकी आराजीयात ग्राम रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर में स्थित होकर गत सेटलमेंट के अनुसार आराजी संख्या 1037/11 रकबा 10 बीघा थी। वक्त सेटलमेंट संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके आराजी नम्बर 1515 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टेयर बनाये जो करीब 03 बीघा 02 बिस्वा ही बनते है, अतः उसकी जमीन का रकबा कम कर दिया, जिसके सुधारा जावें। ● उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 25.10.2019 से स्वीकार कर आजाद सफी के खातेदारी में दर्ज मौजा रेवलियाखुर्द की साबिक आराजी नम्बर 1037/11 रकबा 10 बीघा भूमि का सेटलमेंट में दर्ज हुए वर्तमान आराजी नमबर 1515, 1515 किता-2 कुल रकबा 0.65 के मुकाबले आजाद सफी के खातेदारी से विलोपित हुए कमी रकबे का समायोजन आजाद सफी के साबिक कब्जे अनुसार एवं मौके पर उपलब्ध रकबे की उपलब्धता के आधार पर बिलानाम आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1517 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1. 39 हैक्टेयर भूमि से किया जाकर आजाद सफी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया तथा इसी अनुसार शुद्वि से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 25.10.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 19.11.2020 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/177) **तहसीलदार, भदेसर बनाम आजादी सफी के बजाय वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.03.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही प्रत्यर्थी के फौत होने से उसके वारिसान को रेकर्ड पर लिया गया।

दिनांक 05.04.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलाधीन निर्णय से विवादित आराजी नम्बर 1509 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1517 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1518 रकबा 0.08 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1519 रकबा 0.84 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1521 रकबा 0.23 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.39 हैक्टेयर रेस्पोडेंटगण के पूर्वाधिकारी आजाद सफी के नाम बिलानाम भूमि दर्ज किये जाने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान बिलानाम आराजी संख्या 1517, 1518, 1519 को रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जबकि उक्त आराजीय मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1037 से बनना बताया है जो कि रेस्पोडेंट को आवंटित आराजी नम्बर 1037/11 से भिन्न है। वर्तमान आराजी संख्या 1509 तथा 1521 को रेस्पोडेंट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया, उक्त आराजीयात के साबिक पुराने नम्बर क्या थे, इस संबंध में पत्रावली में कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं हुआ। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में किसी भी बिन्दु में यह नहीं बताया कि रेस्पोडेंट के खाते में कमी होने वाली कौनसी भूमि है और न ही उसका न तो राजस्व नक्शा ट्रेस पेश किया न ही जमाबंदी पेश की है, न ही कोई पडौस का नजरी नक्शा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब की गई जो उनकी पत्रावली में शामिल दस्तावेज, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस एवं रेवेन्यू रेकर्ड के विरूद्ध होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय पर अपील के संबंध में विधि विभाग से राय हेतु भेजा गया जिस पर क्षेत्राधिकार संबंधी स्थिति स्पष्ट होने उपरान्त अपीलार्थी के अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने एवं कोविड-19 के चलते लॉकडाउन होने से ससमय अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी, विलम्ब के उपशमन हेतु प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी राजकीय पेरोकार द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की आराजीयात ग्राम रेवलियाखुर्द पटवार हल्का रेवलियाखुर्द तहसील भदेसर में स्थित होकर गत सेटलमेंट के अनुसार आराजी संख्या 1037/11 रकबा 10 बीघा थी। वक्त सेटलमेंट संबंधित अधिकारियों द्वारा उसके आराजी आराजी नम्बर 1515 रकबा 0.15 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.65 हैक्टेयर बनाये जो करीब 03 बीघा 02 बिस्वा ही बनते है, अतः उसकी जमीन का रकबा कम कर दिया जिसके सुधार हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-136 एलआर एक्ट का पेश किया जिस पर स्वयं तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसी आधार पर इन्द्राज दुरस्ती का प्रकरण पाये जाने से इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया गया जो पूर्णयता विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2019 के विरूद्ध अपीलार्थी

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 165/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/177) **तहसीलदार, भदेसर बनाम आजादी सफी के बजाय वारिसान**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा मयाद के सम्बन्ध में कोविड-19 कोरोना काल के लाकडॉउन के कारण अपील देरी से दायर करने का उल्लेख किया है। अपीलाण्ट के दफा 5 जाप्ता मियाद के आवेदन, अखण्डित शपथ-पत्र एवं न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अपीलार्थी तहसीलदार का प्रमुख उज्र रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान बिलानाम आराजी संख्या 1517, 1518, 1519 को रेस्पोडेंट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जबकि उक्त आराजीय मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1037 से बनना बताया है जो कि रेस्पोडेंट को आवंटित आराजी नम्बर 1037/11 से भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आजाद सफी द्वारा प्रार्थना पत्र-136 एलआर एक्ट में अंकित कमी रकबा पूर्ति हेतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज बिलानाम आराजी संख्या 1509, 1517, 1518, 1519, 1521 भूमि में से मौके पर उपलब्ध रकबे अनुसार आजाद सफी के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया। तहसीलदार रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आजाद सफी को आवंटित आराजी संख्या 1037/11 के नये नम्बर 1515, 1516 बने और आराजी संख्या 1037 के आराजी संख्या 1517, 1518, 1519 बने। **उक्त आराजी संख्या 1517, 1518, 1519 एवं अन्य आराजी संख्या 1509, 1521 बिलानाम सरकार दर्ज है, जिस पर धारा-136 एलआर एक्ट के तहत किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है।** वर्तमान आराजी संख्या 1509 तथा 1521 को रेस्पोडेंट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया, उक्त आराजीयात के साबिक पुराने नम्बर क्या थे, इस संबंध में पत्रावली में कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं हुआ। रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में किसी भी बिन्दु में यह नहीं बताया कि रेस्पोडेंट के खाते में कमी होने वाली कौनसी भूमि है और न ही उसका न तो राजस्व नक्शा ट्रेस पेश किया न ही जमाबंदी पेश की है, न ही कोई पडौस का नजरी नक्शा पेश किया। इन सभी बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की गई जो प्रावधानोनुसार अपेक्षित थी। उपरोक्त स्थिति से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित किये जाने पूर्व अपेक्षित जांच की कार्यवाही नहीं की गई, इसलिये यह न्यायालय उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, भदेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2019 अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, भदेसर को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर अपेक्षित जांच कर, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर